

( Under Section 154, P.C. )

1. Dist. Alipurdhara P.S. Kalchini Year 2022 FIR No. 169/22 Date 29.10.22
2. (i) Act I.D. (ii) Sections 498.A/302 (iii) Act Section (iv) Other Acts & Sections Sec of 4 D.P. Act 194
3. a) Occurrence of Offence : Day 29.10.22 Date 29.10.22 From Since after marriage Date 2
- Time Period on 16.10.22 Time From 23.05 hr Date 29.10.22 To 23.05 hr
- b) Information received at P.S. Date 29.10.22 Time 23.05 hr
- c) General Diary Reference : Entry No (s) 848 Time 23.05 hr
4. Type of Information : Written / Oral
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P.S. 14 km. East Beat No.
- b) Address Modiline, P.S. Kalchini, Dist. Alipurdhara
- c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of the P.S.  District
6. Complainant / Informant :
- a) Name Manoj Kr. Sha
- b) Father's / Husband's Name Lt. Satyanarayan Sha
- c) Date / Year of Birth :  (d) Nationality Indian
- d) Passport No.  Date of Issue  Place of Issue
- e) Occupation
- f) Address Vill. Chhossima, PO. Shide, P. Sakra, Dist. Muragharan, Behar
- Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ① Sunil Sha (Husband) ② Kishor Sha (brother-in-law) both are pander Sha, ③ Gita Sebi is pander Sha (Mother-in-law), ④ pander Sha (Father-in-law) s/o not mentioned and other in-laws - all are of Modiline, P.S. Kalchini, Dist. Alipurdhara.
- ( Attach separate sheet, if necessary ) :
8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant :
9. Particulars of Properties stolen / involved ( Attach separate sheet, if necessary ) :
10. Total value of properties stolen / involved
11. Inquest Report / U.D. Case No., if any
12. FIR Contents, ( Attach separate sheets, if required ) : The Original written Complaint which is treated as F.I.R is attached herewith
13. Action taken : Since the above report reveals, commission of offence(s) as mentioned at item No. 2 registered the case took up the investigation / directed P.S.I. Sekendar Hassan to take up investigation / refused investigation / transferred to P.S. Pradyut Kr. Sarkar on point of jurisdiction, FIR read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.



सेवा में श्रीमान आना प्रमोदी महारथ (मिलीगुड़ी, मन्तीम) के संबंध में -  
विषय :- मेरी बूती संघाषी कुमारी को हत्या के संबंध में -

महाराथ, शनिवार निवेदन है कि मैं मनोज कुमार साह  
ग्राम - चौलीमा, पो. - सीधे, पना - सकरा, जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार)  
843119 का स्थायी निवासी हूँ। मैं लगभग 2 वर्ष  
पूर्व पुनदेव साह के पुत्र सुनील साह के साथ  
ग्राम - कालथीनी मोदील, पो. + मागा - कालथीनी, जिला - चलीपुरा  
के साथ अपनी बूती संघाषी कुमारी की विवाह हिन्दु  
रीति रिवाज के अनुसार संपन्न किया। शादी के दो-  
तीन महीने बाद हमारी लड़की फोन कर 1 लाख  
रुपये माँगा। मैंने दो-तीन दिन बाद उसके घर जाकर  
नगदी दे दिया। उसके बाद हमारी लड़की को बार-  
बार प्रताड़ित किया जाता था कि कमी दो कमी तीन  
लाख रुपये अपने बाप से माँगा। जो कि हमें फोन  
करती थी समयानुसार हम कभी 50,000 तो कभी 40,000  
तो कभी 80,000 रुपये देते रहे। कुमारी घर बनाने के नाम  
दे उसकी माँ रंगीला देवी) पर पुनदेव साह ने  
5,00,000 का माँगा किया हमने 3,00,000 रुपये उसके खाना  
पर खर्च दिया, 2,00,000 रुपये कम देने के कारण हमारी  
लड़की को अक्सर फिट कूटता साह उसके माँ और उसके  
पिताजी मिलकर मारपीट करती थी। हद तो तब हो गई  
जब 16 तारीक/10/2022 को उसकी माँ और कूटता साह ने  
मार पीटकर जबरदस्ती बिग (जहर) खिला दिया। और फोन  
कर हमें घमकी दिया है कि तुम्हारा बेटा का Heart  
Attack हो गया है आ जाओ। मैं जब यहाँ पहुँचा तो  
पता चला कि Shubham Hospital (Kuch Bihar) में Admit है  
मैं उस पर पा Hospital पहुँचा Doctor से बात की  
हुई तो उन्होंने बताया कि बिग (जहर) खिला गया है। और  
उन्होंने Reber कर Anandaleke Multispeciality Hospital (मिलीगुड़ी)  
भेज दिया। मैं पुनः उपरिष्ठ रहकर 26-10-2022 तक इलाज  
कराया। 26 तारीक के रात्री मैं अपने माँ के इलाज के कारण  
कोलकाता चला गया। और 28-10-2022 को सुबह फोन कर  
सूचना दिया गया कि आपकी बेटी Discharged हो गई है।  
इलाज के दौरान जब मेरी बेटी होश में आई तो उसने बताया  
कि पापा हमें जबरदस्ती मार-पीट का जहर खिलाया गया है। तथा  
मेरी बेटी के मंगुठे पर म्याही का मिश्रण था उसके पुछने पर  
असमर्थता बताई। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है उपर्युक्त विषय  
पर ध्यान देते हुये उचित कार्रवाई की जाए।

सुनील साह के उपस्थिति में उसके पुरे परिवार ने फिर्का  
 मारा तथा जहर खीला दिया।  
 बार बार फोन कर धमकी दिया जाता था की झगड़ा  
 तुम्हारी बेटी बलाज से ठीक भी हो गई तो हम  
 नहीं रखेंगे और यहाँ कौन पुलिस सब कौन नेना  
 तुम्हारी मदद करेगा हम देखेंगे जिसका Call record  
 भी मेरे पास है।

आपका विश्वासभाजक

नाम. मनोज कुमार साह

29.10.2022

Received the complaint  
 at PS vide new PS ADE  
 No. 848 dt. 29.10.22 and  
 Started Kalchini PS  
 Case No. 169/M dt. 29.10.22  
 U/S 498A/302 IPC and Section  
 4 of D.P. Act 1961

29/10/22  
 Officer-in-Charge  
 Kalchini Police Station